रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 455] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1977/आश्विन 27, 1899

No. 455] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1977/ASVINA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

OREDRS

New Delhi, the 19th October 1977

S O 733(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Central Coal Washeries Organisation, Hindustan Steel Limited, Saraidhella, Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed,

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No 1, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed by the Central Coal Washeries Organisation, Hindustan Steel Limited, Saraidhella, Dhanbad for payment of bonus at the rate of 20 per cent for the accounting year 1976-77 is justified? If not, to what relief, if any, are the said workmen entitled?

[No. L-20012/233/77-D III (A)(I)]

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1977

का० आ० 733(अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेंट्रल कोल वाशरीज आर्गनाइजेशन, हिन्दुस्तान स्टील लि०, सरायधेला, धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अत, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाइजेशन, हिन्दुस्तान स्टील लि०, सरायधेला, धनबाद द्वारा नियोजित कर्मकारों की लेखा वर्ष 1976—77 के संबंध में 20% की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष (यदि कोई हो) के हकदार हैं?

[सं० एल-20012/233 77-डी-3(ए)(i)]

S.O 734(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Labour No L 20012/233/77-D III(A)(i), dated the 19th October, 1977, an industrial dispute between the management of Messrs Central Coal Washeries Organisation, Hindustan Steel Limited, Saraidhella, Dhanbad and their workmen has been referred to the Central Government Industrial Tribunal No 1, Dhanbad for adjudication,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence on the date of the said reference in the said establishment in connection with the said dispute.

[No L-20012/233/77-D III (A)(ii)]

T. S SANKARAN, Addl Secy.

का० आ० 734(अ).—यत मैसर्स सेन्ट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाइजेशन, हिन्दुस्तान स्टील लि०, सरायधेला, धनबाद, के प्रबन्धतन्त्र और उनके कर्मकारों के बीच एक विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आदेश संख्या एल-20012/233/77-डी-3(ए)(i), दिनांक 19 अक्तूबर, 1977 द्वारा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया है,

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त स्थापन में उक्त विवाद के सम्बन्ध में उक्त निर्देश की तारीख को विद्यमान हड़ताल को जारी रखना प्रतिषिद्ध करती है।

[सं० एल-20012/233/77-डी-3(ए)(ii)]

टी० एस० शंकरन, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977